



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 81) पटना, मंगलवार, 27 जनवरी 2026

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
22 जनवरी 2026

सं० ओ/बि०मा०आ०-09/2018-931—गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4340 दिनांक-01.09.2020 के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए निबंधक के पद पर नियोजित थे। समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं०-13357 दिनांक-16.11.2023 द्वारा प्रथम बार एक वर्ष की अवधि के लिए, अधिसूचना सं०-11055 दिनांक-13.11.2024 द्वारा दूसरी बार 65 वर्ष की अधिसीमा पूर्ण होने तक के लिए तथा अधिसूचना सं०-7803 दिनांक-11.07.2025 के द्वारा अगले छह माह तक के लिए निबंधक के पद पर नियोजित किया गया था। समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त दिनांक-13.01.2026 को श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अपने पद का त्याग किया गया।

2. कार्यहित में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह को पुनः बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह (06) माह तक के लिए निबंधक के पद पर नियोजित किया जाता है।

3. इन्हें वेतन एवं भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-2105 दिनांक-02.03.2016 के अनुरूप देय होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 81-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>